Report of the committee constituted by the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi in the matter of

Rajendra Tiwari V/s Union of India &Ors OA No. 49/2023 (CZ)

1. Applicant: Rajendra Tiwari
2. Respondents: Union of India &Ors
3. Background:
   (i) Applicant Sh. Rajendra Tiwari has raised the issue of construction activities by converting natural drain with permanent structure. The natural drain running in the Wildlife Sanctuary, passing through Khasra No. 93, Village Nahargarh which comes from a water fall named "Prabhat Puri Ka Khola" and merges ultimately with Jalmahal Lake and istherefore a source of water recharge of the water body i.e. Jalmahal Lake.
   (ii) ACF, Nahargarh Wildlife Sanctuary vide his letter dated 14.06.2023 issued notice to Executive Engineer in the office of Deputy Commissioner Nagar Nigam Heritage in furtherance of Applicant's representation received on 13.06.2023. (Annexure 1)
   (iii) DCF Zoo Jaipur also wrote to Commissioner Nagar Nigam Heritage on 19.06.2023 (Annexure 2).

4. Hon'ble NGT Principal Bench order dated 13.07.2023:
   "8.In our view, a substantial question relating to environment due to implementation of Schedule enactments under NGT Act, 2010 has arisen but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report for which purpose, we constitute a joint Committee comprising (i) PCCF Wildlife, Rajasthan, (ii) Integrated Regional Officer, MoEF & CC, Jaipur, (iii) District Magistrate, Jaipur and (iv) RSPCB and (v) an Expert in the field of environmental science, ecology and forest from Jaipur University to be nominated by Vice Chancellor of the University within a week from the date of communication of this order, who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report within six weeks by e-mail at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF / OCR support PDF and not in the form of Image PDF.
   9. Rajasthan PCB will be nodal agency for co-ordination and compliance.

10. Committee shall be chaired by PCCF Wildlife, Rajasthan. The statistical support to the Expert nominated by Vice Chancellor, Rajasthan and his remuneration which we determine at Rs.25,000/- per visit shall be paid by State PCB from the funds available with it on account of deposit of environmental compensation. With regard to travelling etc. of such Expert, necessary arrangements shall be made by State PCB. "

5. <u>Preparatory meeting:</u>

A preparatory meeting was held in the chamber of Mr Arindam Tomar, Principal Chief Conservator of Forest (Wild Life) and Chief Wildlife Warden Rajasthan, Jaipur on 02.08.2023 wherein Mr Shrawan Kumar Verma, Deputy Inspector General, Regional Office, MoEF & CC, Jaipur; Mr N. Vijai, Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur; Ms Alka Bishnoi, ADM Jaipur(North) (Representative of District Collector) and Dr. Surendra Singh Chauhan, Representative of University of Rajasthan, Jaipurwere present. It was decided in the meeting that a site visit will be organized on 10.08.2023.

6. <u>Field Visit:</u>

The following members of the committee visited the site on 10.08.2023:

(i) Sh. Arindam Tomar, Principal Chief Conservator of Forest (Wild Life) and Chief Wildlife Warden Rajasthan, Jaipur

(ii) Sh. Shrawan Kumar Verma, Deputy Inspector General, Regional Office, MoEF & CC, Jaipur

(iii) Sh.Vijai N., Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur

Dr. Surendra Singh Chauhan, Representative of University of Rajasthan, Jaipur was not present.

The following officers were also present

(i) Sh. Sangram Singh Katiyar, DCF Wildlife, Zoo, Jaipur

(ii) Sh. Vijay Sharma, Regional Officer, Jaipur (North), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur

(iii) Sh. Gajnafar Ali Zaidi ACF Nahargarh Wildlife Sanctuary

(iv) Sh. Ravindra Pratap Singh, Girdawar and Sh. Sachin Sharma, Patwari Amer (Representative of Distt. Collector)

Local people, forest staff and Sh. Mahendra Singh, Ex En, Nagar Nigam Jaipur (Heritage) was also present during the field visit.

7. Observations of the committee during the field visit:

(i) The said nallah is located within the Nahargarh Wildlife Sanctuary as per sanctuary notification.

(ii) According to Forest Settlement record, the said nallah is located in Khasra No. 93 and is a part of Reserved Forest land of Forest block Badi Line Amer-54.

(iii) No construction activity was observed in the nallah.

(iv) The surrounding area is devoid of forest and is completely built-up.

(v) The nallah was littered with polythene and garbage.

8. Conclusion:

(i) Forest Conservation Act, 1980 and Wildlife Protection Act, 1972 are applicable on the said nallah / land.

(ii) According to rules, before undertaking any construction activity in the said nallah, it is necessary to take appropriate permissions under Wildlife Protection Act, 1972 and Forest Conservation Act, 1980.

9. Recommendation:

(i) Necessary permissions may accordingly be sought by the useragency before taking up any construction activity.

10. Enclosures:

(i) Notice issued by ACF Nahargarh (Annexure-1)

(ii) Letter written by DCF Zoo Jaipur (Annexure-2)

(iii) Copy of the Nahargarh wildlife Sanctuary Notification (Annexure-3)

(iv) Copy of the Forest block Badi Line Amer-54 Notification (Annexure-4)

(Vijai N.)	(Shrawan Kumar Verma)	(Arindam Tomar) 17/8/23
MS, RSPCB, Jaipur	Dy. IG, MoEF& CC, Jaipur	PCCF (WL), Jaipur

Annex- 1

कार्यालय सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य

क्रमांक

दिनांक

नोटिस

निमित्त,

अधिशाषी अभियन्ता,
कार्या0 उपायुक्त आमेर हवामहल जोन,
नगर–निगम जयपुर हैरिटेज चौगान स्टेडियम
गणगौरी बाजार जयपुर।

विषयः– नाहरगढ वन्य–जीव अभयारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र के खसरा नम्बर 93 के गांव नाहरगढ तह0 जयपुर की भूमि पर अवैध रूप से नगर निगम आमेर हवामहल जोन द्वारा शहीद वनकर्मी उद्यान के के पास आमेर रोड जयपुर में बिना वन विभाग के अनुमति के पक्के नाले का निर्माण करने का प्रयास करने बाबत्।

सन्दर्भः– कार्या0 उपवन संरक्षक वन्यजीव चिड़ियाघर जयपुर के द्वारा जरिये वाटसअप निदेशों के क्रंम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नाहरगढ वन एवं वन्यजीव सुरक्षा सेवा समिति जरिये अध्यक्ष श्री राजेन्द्र तिवाडी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.(01)/शिकायत/2023/85– 96 दिनांक 01.04.2023 जो कि इस कार्यालय को जरिये वाटसअप दिनांक 13.06.2023 को प्राप्त हुआ उक्त शिकायत की प्रति राज्य सरकार व केन्द्र सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सेन्ट्रल एम्पावर्ड (सीइसी) व आपके विभाग के उच्च कार्यालयों एवं अद्योस्ताक्षरकर्ता के उच्च कार्या0 को प्रेषित कर संज्ञान में लाया गया कि आपके कार्या0 उपायुक्त आमेर, हवामहल जोन नगर निगम हैरिटेज के वार्ड नम्बर 11 में स्थित वार्ड नाहरगढ वन्यजीव अभ्यारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र खसरा नम्बर 93 शहीद वनकर्मी उद्यान के पास आमेर रोड जयपुर में एक पुराना प्राकृतिक नाला स्थित है। नगर निगम के द्वारा उक्त नाले का पक्का करने हेतु कार्य प्रस्तावित कर दिया गया है तथा कुछ समय पहले निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया था। इस प्रकार नगर निगम के द्वारा निर्माण कार्य से पूर्व न तो वन विभाग की अनुमति प्राप्त की ओर न ही पक्के नाला निर्माण से पूर्व वाईल्ड लाईफ किलयरेंस करवाया। इस प्रकार नगर निगम द्वारा यह जानते हुए कि भूमि आरक्षित वन भूमि है फिर भी गोपनीय रूप से नगर निगम के द्वारा अनाधिकृत कार्य करवाकर वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनिय 1972 एवं वन संरक्षण 1980 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 12.12.96 का स्पष्ट उल्लग्न किया गया है। यहा पर यह तथ्य भी लाना आवसयक है कि वार्ड नम्बर 11 पूर्ण रूप से नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग है। जिसमें आरक्षित वन क्षेत्र एवं वर्णित क्षेत्र समलीत है। उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार विकास कार्य करने से पूर्व वन विभाग की सक्षम अनुमति लेना आवश्यक हैं, नगर निगम हैरिटेज जयपुर के द्वारा वन विभाग की बिना अनुमति से कार्य कराया जाता है। जिससे वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियमों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी समय–समय जारी आदेशो एवं भारत सरकार की अधिसूचनाओं की अवमाननां हो रही है।

यहां पर यह आपकी जानकारी में यह तथ्य भी लाना जरूरी है कि नाहरगढ जीव अभ्यारण राज्य आदेश क्रमांक 07(58) क/61 दिनांक 21.11.1961, द्वारा राजस्थान वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत वन खंड़ आमेर 54 की भूमि को दिनांक 15.031982 से आरक्षित वन घोषित करने हेतु गजट अधिसूचना जारी की गयी है तथा राज्य आदेश क्रमांक 11(39) राजस्थान/8/80 दिनांक 22.09.1980 के द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18 के अभ्यारण्य का नाम दिया गया है और उक्त अभ्यारण्ये क्षेत्र की चारों सीमाओं को चिन्हित किया गया है ओर यह भी स्पस्ट करना होगा कि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा वन्य जीव संरक्षण आर 6(24)/93/6784 दिनांक 21.08.1998 द्वारा वन्य जीव अभ्याण्ये को अधिनियम 1972 की धारा 21 के

अन्तर्गत नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को उद्घोषित किया गया है तथा दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को इको सेंसेटिव जोन भी घोषित किया जा चुका है।

श्री तिवाडी द्वारा प्रेषित शिकायत में उठाये गये मुद्दों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आपके कार्यालय द्वारा बिना वन विभाग की अनुमति के नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के आरक्षित खसरा नंबर 93, ग्राम नाहरगढ़, तहसील–जयपुर, जिला–जयपुर जो कि शहीद वनकर्मी उद्यान, आमेर रोड, जयपुर के पास स्थित प्राकृतिक नाला को पक्का करने हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है और टेंडर भी जारी कर दिया गया है और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने की योजना आपके कार्यालय द्वारा की जा रही है। आपका उक्त कृत्य वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम 1980 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.12.1996 का स्पष्ट उल्लंघन है। अभ्यारण्य अधिनियमों एवं अधिसूचनाओं के अनुसार अभ्यारण्य क्षेत्र में प्रवेश करने, नव–निर्माण करने से पूर्व उस स्थल का वाईल्ड लाइफ क्लीयरेंस कराना अति आवश्यक है जो कि आपके द्वारा निर्माण कार्य करने से पूर्व उक्त नाले का वाईल्ड लाइफ क्लीयरेंस करवाया गया हो ऐसी रिपोर्ट कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। आपके उक्त कृत्य से उक्त नाले में विचरण करने वाले वन्य जीवों के रहवास को क्षति पहुंचने व उनके मृत्यु होने की पूर्ण संभावना है।

अतः आपको जरिये नोटिस निर्देशित किया जाता है व आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप नोटिस प्राप्ति से 5 दिवस में निम्न दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगेः–

1. आपके कार्यालय द्वारा उक्त वर्णित नाले को पक्का करने हेतु जारी टेंडर पत्रावली मय नोटशीट के प्रमाणित छाया प्रति प्रेषित करें।
2. आपके कार्यालय द्वारा उक्त वर्णित नाले को पक्का करने हेतु वन विभाग से प्राप्त एनओसी की प्रमाणित प्रति यदि प्राप्त की गई हो तो।
3. आपके कार्यालय द्वारा उक्त वर्णित नाले को पक्का करने हेतु उक्त नाले का वाईल्ड लाइफ क्लीयरेंस नेशनल वाईल्ड लाइफ बोर्ड से कराया गया हो तो क्लीयरेंस की प्रमाणित प्रति।
4. आपके कार्यालय द्वारा उक्त वर्णित नाले को पक्का करने से पूर्व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से प्राप्त एनओसी की प्रमाणित प्रति

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि जब तक उक्त नोटिस में चाहे गये दस्तावेजात एवं वन विभाग से सक्षम अनुमति प्राप्त न हो तब तक उक्त नाले को पक्का करने का निर्माण स्थगित रखें अन्यथा आपके द्वारा निर्माण उपयोग में ली जाने वाली सामग्री एवं संसाधनों को वन एवं वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार सीज कर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

धन्यवाद।

भवदीय,

सहायक वन सरंक्षक
वन्य जीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य,
जयपुर (राज.)

क्रमांक 651-56 दिनांक 14.06.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् उप वन सरंक्षक वन्य जीव चिड़ियाघर जयपुर को जरिये व्हाट्सअप दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. श्रीमान् आयुक्त, नगर निगम मुख्यालय, हैरिटेज, जयपुर को प्रेषित कर अपेक्षा की जाती है कि विचाराधीन प्रकरण एवं अभ्यारण्य हित में अपने स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें एवं अपने अधीनस्थ कार्यालय को पालना रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु पाबंद करें।

3. श्रीमान् उपायुक्त, आमेर–हवामहल जोन, नगर निगम हैरिटेज, चौगान स्टेडियम, गणगौरी बाजार, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन्य जीव नाहरगढ़ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त वर्णित स्थल की कठोर निगरानी कायम रखें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त नाले पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न हो तथा नाले के आसपास वन भूमि का साइन बोर्ड लगवायें। पालना रिपोर्ट 5 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करें।
5. वनपाल नाका काला महादेव को प्रेषित कर पाबंद किया जाता है कि उक्त नाले की विशेष निगरानी रखें तथा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न होने दें। यदि निर्माण कार्य होता है तो निर्माण सामग्री व संसाधनों को वन एवं वन्य जीव सरंक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार सीज कर सक्षम न्यायालय में चालान हेतु पत्रावली क्षेत्रीय वन अधिकारी, वन्य जीव नाहरगढ़ को प्रेषित करें। यदि प्रकरण में लापरवाही की जाती है तो आपको व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।
6. श्री राजेन्द्र तिवाड़ी, अध्यक्ष, नाहरगढ़ वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं सेवा समिति 66ए, तिवाड़ी भवन, गुर्जर घाटी, भैरू मीणा का बाग, आमेर रोड़, जयपुर 302002 को आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ(01)/शिकायत/2023/85–96 दिनांक 01.04.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक वन सरंक्षक
वन्य जीव नाहरगढ़ अभ्यारण्य,
जयपुर (राज.)

Annex.-2

कार्यालय उप वन संरक्षक वन्यजीव, चिडियाघर जयपुर

फोन नम्बर: 0141-2617319 ई-मेल dcfwl.zoo.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ 16 ( ) सर्वे/उवस./जू/2022-23/4572 दिनांक: 19/06/22

निमित्त,

आयुक्त,
नगर निगम जयपुर हैरिटेज।

विषय—नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र के खसरा नं. 93 के गांव नाहरगढ तह. जयपुर की भूमि पर अवैध रूप से नगर निगम आमेर हवामहल जोन द्वारा शहीद वनकर्मी उद्यान के पास आमेर रोड जयपुर में बिना वन विभाग की अनुमति के पक्के नाले का निर्माण करने का प्रयास करने बाबत।

सन्दर्भ—श्री रामकरण मीना, निवासी कागदीवाडा, माउंट रोड प्लॉट नं. 28/119 शीतला माता मन्दिर के पीछे, जयपुर के पत्रां दिनांक 30.01.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य के आरक्षित वन क्षेत्र के ख.न. 93 की वनभूमि पर अवैध रूप से आपके अधीनस्थ कार्यालय उपायुक्त हवामहल, नगर निगम हैरिटेज के वार्ड नं. 93 शहीद वनकर्मी उद्यान के पास आमेर रोड जयपुर में स्थित पुराने नाले को पक्का किया जा रहा है। उक्त कार्य से पूर्व न तो वन विभाग की अनुमति प्राप्त की ओर न ही पक्के नाला निर्माण से पूर्व वन्यजीव स्वीकृति ली गई है। इस प्रकार नगर निगम द्वारा यह जानते हुये कि प्रश्नगत भूमि आरक्षित वनभूमि है फिर भी अवैध रूप से नगर निगम द्वारा अनाधिकृत कार्य करवाकर वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लघंन किया गया है। इस संबंध में कार्यालय सहायक वन संरक्षक, नाहरगढ वन्यजीव अभयारण्य के पत्रांक 650-56 दिनांक 14.06.2023 द्वारा उक्त निर्माण कार्य को स्थगित करने हेतु नोटिस जारी किया गया है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्माण कार्य करने से पूर्व नियमानुसार वन विभाग से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एव वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन एवं वन्यजीव स्वीकृति लिया जाना सुनिश्चित करें एवं उक्त अवैध निर्माण कार्य को तुरन्त स्थगित करावें अन्यथा नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

भवदीय

(कपिल चन्द्रवाल) IFS
उप वन संरक्षक(वन्यजीव)
चिडियाघर, जयपुर

क्रमांक एफ 16 ( ) सर्वे/उवस./जू/2022-23/4573 दिनांक: 19/06/23
प्रतिलिपिः— मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक(वन्यजीव)
चिडियाघर, जयपुर

Document certified by KAPIL CHANDRAWAL <KCMNIT@YAHOO.CO.IN>.

Digitally Signed by Kapil Chandrawal
Designation : Deputy Conservator Of Forest
Date :16-06-2023 06:27:18

RajKaj Ref No. : 4052225

Annex.-3

Ann X-A/2

(28)

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक/एफ 11(39)राज-6/80 जयपुर, दिनांक 22 सितम्बर, 1980.

अधि-सूचना

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, जो कि भारत सरकार (कृषि मंत्रालय) (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या प011014/3/72 ... दिनांक 1 सितम्बर 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चुका है, की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली जयपुर जिले की भूमियों को, उनकी परिस्थिति व प्राणिजातीय, वनस्पतीय, भू-संरचना, सम्बन्धित-नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के नाम से जाना जावेगा और जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूचि

नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं का विवरण:-

(देखिये भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18-2)

सीमा विवरण नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य

उत्तर- वनक्षेत्र बीड़ तालेड़ा व ग्राम ... की उत्तरी सीमा तक ग्राम कूकस का वन क्षेत्र ... वन क्षेत्र ग्राम ... खसरा नम्बरान 1090 व 1091 व ग्राम कूकस खसरा नम्बरान 4,5,6, व 7 का उत्तरी भाग।

पूर्व- वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम कूकस सराय ..., आमेर, आबादी आमेर मावठा, आमेर देहली रोड व राजस्व क्षेत्र ग्राम नाहरगढ़।

दक्षिण- वन सीमा लाईन समीपवर्ती आबादी ब्रह्मपुरी व पुरानी बस्ती।

पश्चिमी- नाहरगढ़ का नाका आबादी क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र ग्राम किशन बाग: बीड ... व नला ... परिसर विश्वकर्मा, औद्योगिक क्षेत्र व वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम जैसल्या आकेड़ा,

क्रमशः

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित

स.लो.सू. अधिकारी
सहायक वन संरक्षक चिड़ियाघर, जयपुर

(29)

निरस्तापन, उक्त गांव सरहद व अधिसूचना का क्षेत्र तथा गांव [illegible] [illegible] सं० ए2-115 व 63 का उसकी अधिसूचना [illegible] व सीमा का क्षेत्र [illegible] [illegible] अधिसूचना का क्षेत्र [illegible] [illegible] प्रकार संख्या 1092-91

राज्यपाल के आदेश से

(कालीचरण [illegible])
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2- सचिव, मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3- समस्त निजी सचिव, मंत्री/उप मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5- समस्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6- मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।
7- मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
8- जिलाधीश, जयपुर।
9- राजकीय एवं प्रकाशन मुद्रण विभाग, [illegible] को अतिरिक्त 10 प्रतियां सहित।
10- रक्षित पत्रावली

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि पुनः प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को आगे राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।

उप शासन सचिव

एम0पी0बेरवा/21-5-80

सूचना अधिनियम के तहत प्रमाणित फोटो प्रति
लोक सूचना अधिकारी
[illegible] चिड़ियाघर, जयपुर

Wildlife Protection And Dev. JAIPUR

Wildlife Protection And Dev. JAIPUR

T.C. 19.28-29

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रप–8) विभाग

क्रमांक / एफ11(39) राज–8 / 80 जयपुर, दिनांक 22 सितम्बर,1980

अधि–सूचना

वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 (1) 72 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, जो कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की अधिसूचना संख्या प011014/3/12 एफ.आर. आई./डब्ल्यू.एल. एफ. दिनांक 1 सिंतम्बर 1973 से राजस्थान राज्य पर लागू किया जा चूका है, की धारा 18 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार निम्न अनुसूचि में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली जयपुर जिले की भूमियों को उनकी परिस्थिति व महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद् द्वारा वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करती है, जिसे भविष्य में नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तद्क्षीन बनाये गये नियमों से जारी किये गये ओदशों के उपबन्धों का विषय होगा।

अनुसूचि

नाहरगढ वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाओं का विवरणः–

(देखिये भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 18–2)

सीमा विवरण नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य

उत्तर– वनक्षेत्र बीड़ तालेड़ा व ग्राम पापड़ की उत्तरी सीमाओं तक ग्राम कूकस का वन क्षेत्र सीमावर्ती वन क्षेत्र. ग्राम दोलतपुरा खसरा नम्बर 1090 व 1091 ग्राम कूकस खसरा नम्वरान 4,5,6 व 7 का उत्तरी भाग।

पूर्व– वन सीमा लाईन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र ग्राम कूकस , खुराड, चिमनपुरा, आमेर, आबादी आमेर आवादी आमेर मांवठा, आमेर देहली रोड व राजस्य क्षेत्र ग्राम नाहरगढ़।

दक्षिण– वन सीमा लाईन समीपवर्ती आबादी ब्रहम्पुरी व पुरानी बस्ती।

1 1 1 2-20-29

पश्चिमी– नाहरी का नाका आबादी क्षेत्र व राजस्व क्षेत्र ग्राम किशन बाग, बीड़ पापड़ व नाला, अमानीशाह से पश्चिम विश्कर्मा, ओद्योगिक क्षेत्र व वन सीमा लाइन समीपवर्ती राजस्व क्षेत्र जेसला, आकेड़ा, शिरयावास, बड़ा गाँव माडिया व समीपवर्ती क्षेत्र बडा गाँव माडिया खसरा नम्बर 02–85 व 83 का उत्तरी पश्चिमी कोना व सीमा वन क्षेत्र तोलेडा समीपवर्ती वन क्षेत्र ग्राम दोलतपुरा खसरा नम्बर 1092–93

राज्यपाल के आदेश से

(एम0एस0 सिघवा)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त निजी सचिव/मंत्री/उप सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर।
8. जिलाधीश जयपुर
9. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग प्रशासनिक अनुभाग– को अतिरिक्त 10 प्रतियां सहित।
10. गार्ड फाईल।

उप शासन सचिव.

प्रतिलिपि पुनः प्रषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजियक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणांलय, जयपुर को अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेंषित है।

उप शासन सचिव

एम0पी0 बैरवा/21.09.80

Annex.- 4

३०८

प्रपत्र 'ले'

विज्ञप्ति

(धारा २० के अधीन)

दिनांक- २९-११-६१

संख्या (०१५(५८)२१-६/६१ चूंकि विज्ञप्ति दिनांक १५-१०-४७ द्वारा नीचे लिखी हुई भूमि को जयपुर वन अधिनियम, १६३६ के अधीन आरक्षित वन के रूप में गठित किये जाने का प्रस्ताव किया गया था ।

और चूंकि उन भूमियों पर अधिकारों ' बाबत . . याचनायें, यदि हों, निबटादी गई हैं ।

और चूंकि उपर्युक्त अधियाचनाओं पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पेश करने की अवधि व्यतीत हो चुकी है और इस अवधि में प्रस्तुत की गई अपीलें निबटादी गई हैं ।

और चूंकि प्रस्तावित वन में सम्मिलित किये जाने के लिये आवाप्त की गई समस्त भूमियां, यदि हों, अनिवार्य अवाप्ति कानून के अधीन सरकार में निहित हो गई है ।

राजस्थान वन अधिनियम, १६५३

अतः अब . एक्ट की धारा २० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार उक्त भूमि को दिनांक १५.७.६२ से प्रभाव रखते हुये आरक्षित वन घोषित करती है जो इस प्रावधान के अधीन है कि ~~नीचे लिखे गये ग्राम कोई अधिकार नहीं रखेंगे~~ । उक्त अधिकारों की संक्षिप्त सूची, (१) में उल्लिखित सीमा तक रखते रहेंगे ~~और अनुदान नहीं पावेंगे~~ । संक्षिप्त सूची, (२) में उल्लिखित सीमा तक ऐसे मौसमों में, उक्त वनों के ऐसे भागों में तथा ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा समय २ पर निर्धारित किये जावें, अनुदानों का उपयोग करेंगे ।

राज्यपाल की आज्ञा से,
शासन सचिव ।

भूमि का विवरण

जिला	तहसील	वन-खंड का नाम	मौजा	अनुपातिक क्षेत्रफल	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६
जयपुर	जयपुर	आमेर ५४	आमेर	४४११-५३१	सीमा विवरण का
	आमेर		मानपुर सड़वा	१५७-१२५	परिशिष्ट में संलग्न है
	जमुवारामगढ़		विजयमहल	८१-३४४	
			नाहरगढ़	२१५२-४०६	
			बस्सीसीतारामपुरा	२७६-८७५	
			किशनबाग	३६३-५३१	

प्रकाश त्यागी
२७-६-६०

फोटो – प्रतिलिपि

कृ०प०कृ०ो कलेक्टर (भू. अ.)
जयपुर

COMPAIR

बीड़ पापड़	११६८-५६४	
महापुरा उर्फ सुकरखेड़ा	३५१-६६८	
पायलाबाग	१५६५-८१२	
बीड़ जैसला	८२८-४३८	६५६.३८१
जैसला	७५१-३१३	
बाकेड़ा	२७३-२१६	
शिस्यावास	२०६५-१५६	
बड़गांव	७६६-६३८	
खैरवाड़ी	४१६-५६२	
विशनगढ़	२२७-८४३	
अलेपुरा	६२-५	
लक्ष्मीनारायणपुरा	२७६-६३७	
बड़ारना	२६-५	
उदयपुरा	१४६-७१८	
चक हनुमानपुरा	१४-३४३	
सेवारामपुरा	८८-८१२	
दौलतपुरा	११६७-२५	
बगवाडा	~~१०६०-~~ ६६३-०६४	
सिंगवाना	१४२६-५३१	
कचरावाला	११५१-५६२	११६६.२०८
क्षापरेड़ी	४६०-४६६	
जैतपुरा	१०२०-६६६	
अखरोल	१६७३-०६४	१६८०.१
गनी	१३१-६०६	
लवाना	~~०४६५-~~ २६०-७५	
गुनावता	४३६-३१२	
ढंन्ड	१२६-८४३	
हरवर	२६८-८४३	
खुराड़	७६७-६२५ —	
चिमनपुरा	१६-०३१	
कूकस	२५६४-६३८	
नैस्तीवास	५७६-६८७	
बीड़ तालेड़ा	५२६-५	

३०००४-६०७ एकड़

३०४१६.४५६

फोटो – प्रतिलिपि

कृते ... (भू. अ.)

...पुर

COMPAIR